88

न्यायालय में श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) ग्वालियर म.प्र.

निग 7063 - II-16

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा विचारपुर कोल माईस
जिला शहडोल म.प्र. ....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. कलेक्टर स्टाम्प, शहडोल
2. सब रजिस्ट्रार, स्टाम्प एक्ट, सोहागपुर,
शहडोल म.प्र. ....अनावेदकगण/गैर निगराकारगण

<u>निगरानी विरुद्ध आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 80/अपील/15/16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016</u>

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.भू. प्र. राजस्व संहिता एवं 47(5) भारतीय स्टाम्प अधि. 1899</u>

श्री भूपेन्द्र शंकर पाण्डेय एड. द्वारा आज दि. 2-7-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 2-7-16

02-7-16

मान्यवर,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय करता है कि :-

1. यह कि निगरानीकर्ता अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. को विचारपुर कोल माईस जिला शहडोल म.प्र. में भारत सरकार कोल मंत्रालय नईदिल्ली के द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला उत्खनन करने हेतु कोल माईस 30 वर्ष हेतु आवंटित हुई है। उक्त आवंटन के पश्चात म.प्र. शासन के द्वारा निगरानीकर्ता को अपने आदेश कमांक एफ3-22/2015/12/1 भोपाल दिनांक 17.06.2015 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप- क में 6 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन कराये जाने हेतु आदेशित किया। उक्त आदेश के पश्चात गैरनिगराकार ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2015 के माध्यम से उपपंजीयक जिला शहडोल म.प्र. को पत्र लेखकर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन की राशि के संबंध में जानकारी चाही, गैर निगराकार के उपरोक्त पत्र के संबंध में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 7063–दो/2016 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9–2016	आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 80/अपील/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47(5) के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें आयुक्त ने दिनांक 06–6–16 को यह निर्देश दिये हैं कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश में शासन को दय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की 7.50 प्रतिशत राशि खजाने में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर ग्राह्यता एवं स्थगन पर विचार किये जायेगा। आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर भी ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	